O/o the Principal Accountant General (A&E) Chhattisgarh, Raipur

Baloda Bazar Road, Raipur, Chhattisgarh-492005

Telephone: 0771-2281409, E-mail- agaechhattisgarh@cag.gov.in

FAX: 0771-2282607

No./G.S./Tender Enquiry/Book Printing /2024-25/74 Dated: 24/06/2024

To,

....

....

....

....

Sub: - Inviting Limited Tender for supplying of Book Printing & Binding.

Sealed tender are invited from the registered suppliers/firms who are capable of Supplying/ Printing of Books as listed in the annexure. **The tender form @ Rs 500/-** (Rupees five hundred only) shall be sold at Room No 112, O/o the PAG (A/E) from **24/06/2024 (1100 hrs) to 05/07/2024 (1200hrs)**. The tender document shall be submitted on or before **05.07.2024 (16.00 hrs)** to the Sr. Accounts Officer, General Section, (A/E) office, Room No. 112, situated on the 1st floor of the Office of the Principal Accountant General (A&E), Chhattisgarh, Zero Point, Near Vidhan Sabha, Raipur either in person or by speed post. No tender will be entertained after due date.

Terms and conditions governing the tender are enclosed alongwith this letter. In case of unbranded items, sample of proposed quoted items should be enclosed with the offer. The tenders will be opened on **09.07.2024 at (1600 hrs)** in the presence of representatives of the tender bidders by the committee nominated by the Deputy Accountant General/Admin, Sr Accounts Officer/ GS at Room No. 114 of this office.

Enclosure: 1. List of Printing items (Annexure-I)

2. Copy of Terms & Conditions

Sd/- 26/06/24

Sr. Accounts Officer/General Section

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) छत्तीसगढ़, रायपुर
बलोदा बाजार रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़-492005
टेलीफोन: 0771-2281409, ई-मेल-agaechhattisgarh@cag.gov.in
फैक्स: 0771-2282607

सं. जी.एस./टेन्डर एंक्वायरी/बुक प्रिंटिंग/2024-25/ 74 दिनांक 24/06/2024

सेवा में,

....

....

विषय:- पुस्तक मुद्रण और बाइंडिंग की आपूर्ति हेतु सीमित निविदा आमंत्रित करने संबंधी।

संलग्न सूची के अनुसार आपूर्ति/पुस्तक मुद्रण में समर्थ पंजीकृत पूर्तिकर्ताओं/फर्म से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। कमरा सं 112, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) में **24/06/2024 (1100 बजे) से 05/07/2024 (दोपहर 1200 बजे)** तक **500/- (पाँच सौ रुपए मात्र) की दर से निविदा फॉर्म** की बिक्री होगी। निविदा दस्तावेज, दिनांक **05.07.2024 (16.00 बजे)** को या उसके पूर्व, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), छत्तीसगढ़, ज़ीरो पॉइंट, विधान सभा के नजदीक, रायपुर के प्रथम तल स्थित वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सामान्य अनुभाग, (लेखा एवं हक.), कमरा सं 112 को व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने होंगे। देय तिथि के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

निविदा को नियंत्रित करने वाले निबंधन और शर्तें इस पत्र के साथ संलग्न हैं। बगैर ब्रांड वाली वस्तुओं के मामले में, प्रस्तावित उद्धृत वस्तुओं का नमूना प्रस्ताव के साथ संलग्न करना होगा। निविदा, दिनांक **09.07.2024 (16.00 बजे)** को इस कार्यालय के कमरा सं 114 में, उप महालेखाकार/प्रशासन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी/जी.एस. द्वारा नामित समिति द्वारा निविदा बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी।

अनुलग्नक: 1. मुद्रण हेतु वस्तुओं की सूची (संलग्नक-I)

2. निबंधन और शर्तों की प्रति

24/06/24

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/सामान्य अनुभाग

Annexure – I

(A) हिन्दी

विवरण	प्रतियां	अनुमानित पृष्ठ संख्या
प्रत्येक विनियोग लेखे पुस्तिका साधारण जिल्द में	235	380
प्रत्येक वित्त लेखे पुस्तिका (खण्ड–I) साधारण जिल्द में	235	100
प्रत्येक वित्त लेखे पुस्तिका (खण्ड–II) साधारण जिल्द में	235	670
विशेष मैरून रंग के जिल्द में सुनहरी उभरी हुई अहस्ताक्षरित डिजिटल प्रतियां (विनि. लेखे)	07	380
विशेष मैरून रंग के जिल्द में सुनहरी उभरी हुई अहस्ताक्षरित डिजिटल प्रतियां (वित्त लेखे–I)	07	100
विशेष मैरून रंग के जिल्द में सुनहरी उभरी हुई अहस्ताक्षरित डिजिटल प्रतियां (वित्त लेखे–II)	07	670
"लेखे एक दृष्टि में"	215	50

(B) अंग्रेजी

विवरण	प्रतियां	अनुमानित पृष्ठ संख्या
प्रत्येक विनियोग लेखे पुस्तिका साधारण जिल्द में	125	400
प्रत्येक वित्त लेखे पुस्तिका (खण्ड–I) साधारण जिल्द में	125	120
प्रत्येक वित्त लेखे पुस्तिका (खण्ड–II) साधारण जिल्द में	125	690
विशेष मैरून रंग के जिल्द में सुनहरी उभरी हुई अहस्ताक्षरित डिजिटल प्रतियां (विनि. लेखे)	07	400
विशेष मैरून रंग के जिल्द में सुनहरी उभरी हुई अहस्ताक्षरित डिजिटल प्रतियां (वित्त लेखे–I)	07	120
विशेष मैरून रंग के जिल्द में सुनहरी उभरी हुई अहस्ताक्षरित डिजिटल प्रतियां (वित्त लेखे–II)	07	690
"लेखे एक दृष्टि में"	110	54

(C)

विवरण	प्रतियां
सी.डी. का मुद्रण (विशेष मुद्रित लिफाफा एवं प्रिंटेड स्टीकर के साथ)	200

छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2023–24 के वित्त एवं विनियोग लेखे के हिन्दी एवं अंग्रेजी में मुद्रण एवं जिल्द बंदी हेतु विस्तृत दिषा निदेष :–

(1) वित्त एवं विनियोग लेखे के प्रत्येक की हिन्दी में 235 प्रतियॉ तथा अंग्रेजी में 125 प्रतियों का मुद्रण अच्छे किस्म के सफेद (मैप लिथों) 70 GSM पर किया जाना है।

(2) वित्त लेखे की पुस्तिकाओं को हिन्दी एवं अंग्रेजी में दो खण्डों में मुद्रित किया जाना है।

(3) अ) प्रत्येक लेखा पुस्तकों की हिन्दी में 235 प्रतियॉ एवं अंग्रेजी में 125 प्रतियॉ जिसके कवर पृष्ठ वांछित मल्टी कलर 300 GSM में मुद्रित की जानी है।

ब) प्रत्येक लेखा पुस्तकों की अंग्रेजी में 07–07 एवं हिन्दी में 07–07 प्रतियों के कवर पृष्ठ हार्ड बोडे के ऊपर विषेष मैरून रंग के जिल्द में सुनहरी उभरे हुए अक्षरों में मुदित की जानी है। यह प्रतियॉ डिजिटल रहेंगी तथा अहस्ताक्षरित रहेंगी।

(4) वर्ष 2022–23 की मुद्रित पुस्तकों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में क्रमानुसार छत्तीसगढ़,शासन वित्त लेखे 2023–24 तथा विनियोग लेखे 2022–23 साईड में मुद्रित किया जाना है।

(5) लेखे एक दृष्टि में वर्ष 2022–23 के प्रत्येक की हिन्दी में 215 प्रतियॉ एवं अंग्रेजी में 110 प्रतियों का मुद्रण ग्लेज्ड आई पेपर (90 जीएसएम) पर किया जाना है तथा उक्त पुस्तक में आवरण पृष्ठ के अलावा लगभग 38 पृष्ठ होंगे। लेखा पुस्तक में कुछ पृष्ठों पर सी.डी. में दर्षाए अनुसार चार्टस एवं ग्राफस रंगीन मुद्रित होंगे। "लेखे एक दृष्टि में" वर्ष 2022–23 के मुद्रण हेतु सामग्री (सी.डी.) साथ ही नमूना 2022–23 की "लेखे एक दृष्टि में" की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

(6) मुद्रण हेतु सामग्री यथा विवरण पत्रक, प्रारूप वित्त एवं विनियोग लेखे एंव लेखे एक दृष्टि में की अंग्रेजी तथा हिन्दी में अंकित बटर पेपर, सी.डी. एवं नमूना प्रतियॉ यथा समय उपलब्ध कराई जावेगी।

(7) सामग्री प्रदाय करने के पष्चात एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (3) ब में वर्णित प्रतियॉ अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।

(8) मुद्रण के दौरान एवं पष्चात पूर्ण गोपनीयता बरती जाये एवं मुद्रण सामग्री को तीन माह तक समाप्त नही किया जावेगा।

(9) मुद्रित सामग्री जीरो प्वाइंट स्थित कार्यालय में अपने व्यय पर पहुॅचाना होगा।

(10) निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मुद्रित न होने पर मुद्रित सामग्री वापस कर दी जावेगी, जिसका लागत का वहन मुद्रक का होगा।

(11) मुद्रण कार्य रायपुर शहर के बाहर नही किया जा सकेगा। मुद्रण कार्य की प्रगति की जॉच समय–समय पर इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा की जावेगी।

(12) मुद्रक द्वारा निविदा (Tender) में दी गई जानकारी मिथ्या पाई जाने पर इस कार्यालय द्वारा आवष्यक कार्यवाही की जावेगी।

(13) सफल निविदाकर्त्ता को सुरक्षा निधि 10,000/– (रू. दस हजार) की बैंक गारंटी/एफडीआर जो Pay & Accounts Officer, O/o the P.A.G.C.G. Raipur, के पक्ष में) देय होगा। जिसे कार्य सम्पन्न होने पर बिना ब्याज के वापस कर दिया जावेगा।

(14) विगत पॉच वर्षो से इस कार्यालय में निविदाए प्रस्तुत करने वाले मुद्रक ही इस वर्ष मुद्रण निविदाएं प्रस्तुत किए जाने हेतु पात्र होंगे तथा फर्मो को छत्तीसगढ़ शासन के वित्त एवं विनियोजित लेखे प्रकाषित करने का 05 वर्ष का अनुभव हो।

(15) किसी भी विवाद की स्थिति में महालेखाकार महोदय का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा तथा दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।

26/2/24
व.ले.अ/स०अनु०